

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 23-04-2012 को जन-सुनवाई खुला मैदान, नजदीक सरस्वती विद्या मन्दिर, औहर, जिला बिलासपुर हि0 प्र0 में एन0 एच0 21 के बिलासपुर से नेरचौक तक के सडक खण्ड के 4 लेन पुनरोद्धार एवं उन्नयन एवं सुदृढीकरण हेतु आयोजित जन-सुनवाई की कार्यवाही का विवरण:

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 23-04-2012 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जन-सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर की अध्यक्षता में किया गया। इस जन-सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्न है। सर्वप्रथम हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिलासपुर द्वारा आयोजित जन-सुनवाई की पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमुह को अवगत कराया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन-सुनवाई की कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार के सदस्यों द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया।

इसके तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन-सुनवाई आरंभ की गई। इस जन-सुनवाई की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	लोगों द्वारा उठाये गये सवाल	मुद्दों पर टिप्पणी
1.	<p><u>श्री बली राम निवासी गांव रिशिकेश कोठी जिला बिलासपुर-</u> मैं रिशिकेश कोठी, जिला बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पास कुछ बीघे जमीन है और 10-15 जीव घर में रोटी खाने वाले हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी जमीन के बीच सडक नहीं आनी चाहिए।</p>	<p><u>परियोजना निर्देशक श्री सतीश कौल जी-</u> इसका भूमि अधिग्रहण से कोई लिंक नहीं है। हमने जो जन-सुनवाई बुलाई है। वह प्रदूषण के लिए बुलाई है। जो भी भूमि से सम्बन्धित एतराज होंगे उसका 3(A) नोटीफिकेशन होगा, और प्रौपर अखबार में आयेगा। जो भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित समस्याएँ/ आवजैक्सन आयेगें उनका निपटारा हमारे एल0 एं0 ओ0 द्वारा किया जायेगा। जिसका दफ्तर, बिलासपुर जिले में खोला गया है। जिन लोगों की जो समस्याएँ होंगी वह हमारे</p>

		एल0 ए0 ओ0 श्री बी0 डी0 शर्मा जी देखेंगे और उसका निपटारा वही करेंगे।
2.	<p>श्री राज कुमार , प्रधान, बहना जटटा, जिला बिलासपुर :</p> <p>जैसा आपने बताया कि यह जो जन सुनवाई रखी है, यह प्रदूषण के बारे में रखी गई है लेकिन आम जनता को इसके बारे में नहीं बताया गया था। हमें तो यही बताया गया था कि यहाँ पर तो जमीन के रेट तय किए जाएंगे। पहले आम जनता को बताया नहीं गया, लेकिन आज जो रेट तय किये जायेंगे। अभी तो हमारे साथ शुरु से ही धोखा हुआ है। पहले उजडे है फिर से उजडने जा रहे हैं। शुरु से धोखा हो रहा है तो आगे क्या होगा? या तो आप लोगों के सामने स्पष्टीकरण रखें या अपने अधिकारियों को पहले से बता के भेजें।</p>	<p>परियोजना निर्देशक श्री कौल जी-</p> <p>जितनी भी पंचायतें इस सड़क के नजदीक आती हैं उन सभी पंचायतों को पर्यावरण की रिपोर्ट दी गई थी, और इसकी कॉपी प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, जिलाधीश व अन्य अधिकारियों के कार्यालयों में इसकी प्रति भेजी गई थी। हमने बताया था कि जो सभा यहाँ पर होने वाली है। वह पर्यावरण के उपर होगी।</p>
3.	<p>श्री देश राज शर्मा, प्रधान , औहर :- यह मीटिंग प्रदूषण के लिए बुलाई गई थी। कल ही कम्पनी वालों के साथ सम्पर्क हुआ था कि यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम होगा। लेकिन ऐसा नहीं बताया गया कि किस विषय पर मीटिंग हो रही है उसमें लोगों कि समस्याएँ सुनी जायेगी या आपतियां भी। आपने अपनी पंचायत के प्रतिनिधियों को भी बताया कि जो सड़क यहाँ से निकलेगा उससे सम्बन्धित जो आपतियां होगी उन्हें दर्ज करवायें। कल पेपर में भी आया था कि लोगों कि जन-समस्याएँ सुनी जायेगी लेकिन कौन सी समस्याएँ सुनी जायेंगी लोगों को मालूम ही नहीं था। कि उनकी जमीन जायेगी, उसके रेट तय किये जायें, लोगों को अभी भी पता नहीं है कि रोड कहाँ से जायेगी। लोगों को अपनी जमीन के बारे में ही पता नहीं है कि उनकी जमीन जा रही है, या नहीं। दूसरी ओर जो हमारा पुराना रोड है उसका क्या</p>	<p>परियोजना निर्देशक श्री सतीस कौल :-</p> <p>प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा आज से एक महीना पहले हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था कि यह पर्यावरण से सम्बन्धित है। अभी कल ही अखबार में छापी गई है। और समाचार की हमें कोई जानकारी नहीं है। कितनी जमीन जाएगी किस खसरा नम्बर से जायेंगी। आपने बड़ी अच्छी बात बताई, कि रोड में कितनी जमीन जायेगी। किस खसरा न0 से जा रही है। क्या रोड स्थापित होने से समस्या का समाधान हो पायेगा। एक अधिसूचना 3 (A) आयेगी और उसमें पुरे कॉलम दिये</p>

<p>होगा। जगह-जगह से डैमेज होगा, एन0 एच0 की विडथ (width) क्या होगी रोड की उंच्वाई कितनी होगी। जिस किसान की 10 बिघे जमीन है मान लो उसकी जमीन के दो हिस्से हो जाते है एक रोड के पार, तो एक रोड के आर, तो वह दूसरे हिस्से पर सिंचाई कैसे करेगा। हमे किस आधार पर क्षतिपुर्ति दी जायेगी लेकिन किसी को भी पता नही था कि यह मिटिंग केवल प्रदूषण से सम्बधित है।</p>	<p>होंगे कि कौन सी तहसील, गाँव उसमें कितना खसरा न0 दूरी हमें प्राप्त करनी है। जिस दिन अखवार में छपेगा उससे 21 दिनों के अन्दर आपकी आपतियां ली जायेंगी। तथा एल0 ए0 ओ0 आफिस बिलासपुर में जाकर कभी भी आपति दर्ज की जा सकती है।</p>
<p>1962 से लेकर जो लोग डिसपलेश (Displace) हुए है आज तक वह रिसैटल Resettle) नही हो पायें है। न तो आज तक सरकार ने उन्हें जो सुख सुविधायें दी थी, वह मुहैया नही करबाई । भाखड़ा से सम्बधित जो लोग है इसके साथ-साथ पहले तो यह होना चाहिए था कि जो लोग पहले डिस्पलेश थे उन्हें दोवारा से डिस्पलेश किया जा रहा है, उन्हे सिस्टैमैटिक ढग से जमीन के बदले जमीन दी जायें। और जिस तरह से सर्वे शुरू हुआ किसी भी किसान का ध्यान नहीं रखा गया और किसी भी किसान को नहीं पूछा गया। और आप सर्वे करते चले गये, और निशान लगाते गये। लोगो को यह मालूम नहीं था कि किसके मकान जा रहे है। उनको तो पता होना चाहिए था कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग बन रहा है या एक्सप्रेस उच्च मार्ग बन रहा है। जब यह रोड बन जायेगा तब हमारी जमीन जो रोड के दुसरे किनारें होगी उस पर सिंचाई कैसे होगी। क्योकि कल जब भी कोई निर्माण करना चाहेगा भी तो राष्ट्रीय उच्च मार्ग से परमिशन लेते-लेते सारी उम्र कट जायेगी। एक तो डिस्पलेश होगा, उपर से कार्यालय के चक्कर काटता रह जायेगा। नियम ही कुछ ऐसे है कि उन्हें ही कोई परमिशन लेनी होती है जो उनके हाथ ही खडे हो जातें है, तो आम जनता का क्या होगा? हम रोड का विरोध नही करते, रोड निकलना चाहिए। लकिन रोड निकलने के</p>	

	<p>साथ-साथ जो किसानों की समस्याएँ हैं उन्हें हल करना चाहिए। और जैसे प्रदूषण, रिसैटलमेंट, और अस्पताल से सम्बंधित है क्या -क्या सुख सुविधाएँ दी जायें यह सब आनी चाहिए। लोगो को एक रोष यह भी था जब सर्वे हुआ था तो उस समय अफरा-तफरी मची थी कि जो आज सर्वे हुआ था इस बारे में किसी को मालूम नहीं था कि प्रदूषण से सम्बंधित मिटिंग है। प्रदूषण जो सकँडरी है पहले तो प्राईमरी किसानों की जमीन जा रही है। घरों से डिस्प्लेश हो रहे हैं, उनकी है।</p>	
4	<p>श्री अमित शर्मा, ग्राम राहियां :- मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि जिस किसान की पूरी की पूरी जमीन, घर मकान चले जायेंगे, जिसके पास कुछ भी नहीं बचेगा उसका पर्यावरण/प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए पर्यावरण कोई अहमियत नहीं रखता है। उसके लिए तो पहले उसका घर-बार ही सब कुछ है। बदले में उस व्यक्ति को उतनी ही जमीन दी जाए, और मकान बनाकर भी दिया जाए। आज जो यहां पर सभा होगी उसी के बारे में होगी। पर्यावरण पर हमें कोई बात नहीं करनी है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो लेना देना है वह सम्पत्ति / जमीन से लेना देना है। उसके लिए आपका और हमारा प्रदूषण कोई अहमियत नहीं रखता।</p>	<p>परियोजना निर्देशक श्री कौल जी- हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमानुसार मुआवजा आदि दिया जायेगा।</p>
5	<p>श्री राम प्रकाश, ग्राम पंचायत नौणी - मण्डी भराडी, गाँव से सम्बंधित हूँ और पूर्व में जिला परिषद का सदस्य था: - माननीय ए0 डी0 एम0 साहब, कौल जी, उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग भाइयों तथा वहनों, आज यहां पर जो मीटिंग रखी गई है, हमें यह नहीं बताया गया है कि पर्यावरण की मीटिंग है सिर्फ यह बताया गया कि औहर में एक मिटिंग है। इसलिए हमारे जो यह गरीब किसान है उनकी आज तक भाखडा विस्थापितों की समस्याएँ हल</p>	

नहीं हो पाई है तो लोगों को यह डर है कि आने वाले समय में जो यहां पर प्रोजैक्ट का काम शुरू होने जा रहा है । उनके साथ फिर से धोखा होने जा रहा है। हालांकि हम इसका स्वागत करते हैं। परन्तु मैं ए0 डी0 एम0 साहब आपके ध्यान में एक चीज लाना चाहता हूं कि आज जो सर्वे हो रहा है यहां पर जो बुर्जे स्थापित किए जा रहे है नौणी से लेकर भसड़ी तक जो ऐसा रोड है जहाँ से तीन जगह के लिए रोड निकाला जा रहा है एक तो वहाँ पर गोविन्दसागर के उपर पुल पडने जा रहा है और एक गम्भरोला के लिए और एक जगह जो रोड वहां पर पुल पडने जा रहा है और वहाँ पर एक ऐसा चौक बनने जा रही है और सारे रोड वहाँ पर इक्कट्टे होने जा रहे है। परन्तु आज उसी लाइन में 5-6 परिवार ऐसे हैं कि बुर्जे उनके मकान के साथ लगाई जा रही है । और मकान के जो भी सटर है वह उच्च मार्ग की तरफ खुलेंगे। इसका ध्यान रखा जायें। आने वाले समय में जो यहां पर स्कूल, पेयजल सुविधाएं उन्हे रिस्टोर (Restore) किया जाना चाहिए। जहां तक लोगों की क्षतिपुर्ति का सवाल है उसके रेट डी0 सी0 साहब ने पहले ही फिक्स किए हुए है । चार पाँच साल पहले भी रजिस्ट्रीयाँ बनी थी जो कि 18-20 लाख की बनी थी। परन्तु चार-पाँच साल बाद जमीन के बिकने के कारण जो जमीन यहाँ बेची जा रही है। लोगो की सबसे पहले जो जमीन व मकान है उसके बारे में देखा जाना चाहिए। पहले जहाँ भी जो मुसिबत है उसे देखा जायें जो निर्णय लें इससे आने वाले समय में हम स्वागत करते है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनना चाहिए। पर लोगो की समस्याओं को नजरन्दाज नहीं किया जाना चाहिए।

6

श्री प्रीतम सिंह , गांम पचायत, बकरोआ , जिला

परियोजना निर्देशक श्री कौल जी-

बिलासपुर : —मैं यहाँ पर उपस्थित अधिकारीगण और यहाँ पर आए हुए सभी इस प्रोजेक्ट से सम्बन्धित और जो भी प्रभावित है आप सभी का स्वागत है। आपने कहा कि पर्यावरण से सम्बन्धित ही बात करें और अपनी समस्याएँ रखें। मेरे पूर्व जितने भी वक्ताओं ने अपनी समस्याओं को यहाँ पर रखा है मैं उनका समर्थन करता हूँ और साथ में आपने पर्यावरण की बात कही है आपने जो भी कितावे पढ़ी आप यहाँ पर जो भी पैरामीटर के हिसाब से काम करेंगे। कितावों में आपने बहुत अच्छा लिखा है कि आप इस पर खरा उतरेंगे भी या नहीं ये बाद की बातें हैं। पर्यावरण हो या वातावरण हो, दोनों खराब होते हैं आपने कहा हम सब ध्यान रखेंगे। मान्यवर में कहना चाहता हूँ कि इसके उपर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मैं ए० डी० एम० से निवेदन करना चाहूँगा कि एक ऐसी पब्लिक कमेटी बनाई जाये जो लोगों का ध्यान भी रखे और सरकार का भी। जिसमें जनता, राज्य सरकार के लोग शामिल हो राष्ट्रीय उच्च मार्ग और प्रदूषण विभाग के लोग शामिल हो, मान्यवर जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है उसमें एक तारकोल मिक्सिंग प्लॉट को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने अनापति प्रमाण पत्र जारी किया है जो मापदण्ड आपने फिक्स किये हैं वह बहुत अच्छे लिखे हैं। लेकिन जब वो लोग पंलाट चलाते हैं तो चारों तरफ धुँआ ही धुँआ होता है। बजरी रोड पर फेंकी गई है और वहाँ पर तीन-चार दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं और उसमें 2 मौतें हो चुकी हैं। सरकार को कहा गया तो उसने कहा प्रशासन को कहा गया है। लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मुझे इस चीज का विश्वास ही नहीं होता कि पर्यावरण विभाग एक शिकायत आने पर कार्यवाही क्यों नहीं करता ऐसा लगता है कि वह अपनी जेब को ही देखता है और कमाई को ही देखता है। से लोग सरकार

आपके सुझाव बहुत मुल्यावान हैं तथा हम पैरामीटर के अनुसार ही कार्य करेंगे। एक पब्लिक कमेटी भी आपके सुझाव के अनुसार गठित की जायेगी।

	<p>की कितनी मदद करते हैं मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से कि पंचायतें, प्रधान सरकार की कितनी मदद करते हैं, यहा पर जो कम्पनी आयेगी उसकी भी मदद करेंगे। और आप सभी इन बातों का ध्यान जरूर रखें। हम ज्यादातर समस्याओं का सहयोग से सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाये पर्यावरण का ध्यान रखें दुसरी बात जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनेगा उससे बहुत ज्यादा प्रभाव पडने वाला है हमारे नदी-नाले और कुँए, उन सब पर प्रभाव पडेगा। अगर कमेटी बनेगी तो वह सब की ग्रीवेन्सीज (Grievances) देखेगी। उनकी बातें सुनेगी और प्रावधान करेगी।</p>	
7	<p><u>श्री विजय चन्द ,गांव धराडसाणी, डमली पंचायत-</u> आदरणीय ए० डी० एम० साहब, उपस्थित अधिकारी वर्ग और समस्त जनसमूह, मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए सिर्फ एक अर्ज करना चाहूंगा कि जब हवाई जहाज को उड़ाना हो तो उस समय उद्घाटन के लिए हमें बुला देते हैं। क्या एयरपोर्ट बन रहा होता है तो नहीं बुलाना पडता। जब आपने एन० एच० बनाना शुरू किया तो आपने किसी से कोई चर्चा नहीं की। आज प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की बात आ रही है मुझे पता तक नहीं कि कहां से क्या हो रहा है। कृपया आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं क्या इससे पहले वह डिक्लेरेशन नहीं आना चाहिए था कि उसके बाद यह चीज रखी जाती तो अच्छा होता। प्रदूषण के बारे में आपने समाचार पत्र में जो कहा था कि राजपत्र हिन्दी और अंग्रेजी में छपवाया गया था कितने लोग हमारे गाँव में पढे लिखें है जो अंग्रेजी का पेपर पढ सकें। हमारे गाँवों में जो रोजाना अखबार पढते हैं। क्या आप एक अनाउसमेंट नहीं करवा सकते थे। पता नहीं पेपरो में ही हुई होगी आम लोगों ने</p>	<p><u>परियोजना निर्देशक श्री कौल जी-</u> यह स्टेट सुपोर्ट ऐग्रीमेंट (State Support Agreement) से ही बन रहा है। हम अपनी मनमानी से ये काम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक से भी परामर्श किया गया था। यह डमली पंचायत के प्रधान से बातचीत हो रहा है। डमली के प्रधान से परामर्श करके बताया गया था कि यहां से राष्ट्रीय उच्च मार्ग बनाया जा रहा है। और कुछ अन्य प्रधानों से, लोगों से भी परामर्श किया गया था।</p>

	<p>नहीं सुनी होगी। लेकिन उसके उपरान्त आप एक जीप दौड़ा दें तो उससे 10 प्रतिशत खर्चा कम होता। और इससे ज्यादा जनसमुह होता और तो सारी बातें समाप्त हो जाती। बाकी बातें तो पहले वालों ने बहुत अच्छी तरह से कह दी है। इस सारे कार्य के लिए सबसे पहले एक कमेटी बनाईए जो आप लोगों तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ही जरूरी होगी जिससे आप भी टच में रहेंगे और हम भी।</p>	
8	<p>श्री जितेन्द्र चन्देल, पूर्व जिला परिषद, गांव बलोह, जिला बिलासपुर – आदरणीय ए0 डी0 एम0 साहब, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निर्देशक श्री कौल जी और यहां मौजूद सभी अधिकारी व फोर लेन से प्रभावित होने वाली सम्बन्धित जनता, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का यहां पर स्वागत करता हूँ और यह बड़ी अच्छी बात है कि यह फोर लेन हमारे इस क्षेत्र से होकर जा रही है लेकिन जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि बिलासपुर की जनता पहले भाखडा विस्थापन, एन0 टी0 पी0 सी कोलडैम, ए0 सी0 सी0 वालो ने रुलाया है। अब एन0 एच वाले आये हैं। लेकिन जो फोर लेन हमारी जगह से होकर जा रहा है उसमें बिलासपुर जिले की 1500 विघे जमीन जायेगी उसमें कितनी सरकारी/ प्राईवेट जमीन होगी उसका क्या आँकड़ा होगा। आप का जो आज का कार्यक्रम है वह प्रदूषण से सम्बन्धित हैं। ये तो ठीक है कि प्रदूषण से सम्बन्धित है लेकिन प्रदूषण की बात तो बाद की बात है मेरा ए0 डी0 एम0 से निवेदन रहेगा कि जिसकी जमीन यहां से जायेगी। सबसे पहले उन्हें विस्थापित घोषित किया जायें, और रिसैटलमेंट किया जायें। हमारे पास बहुत सारी सरकारी भूमि यहां पर खाली पड़ी है। मेरा आप से निवेदन रहेगा कि उनको सबसे पहले उस जगह पर</p>	<p>परियोजना निर्देशक श्री कौल जी- यह बहुत ही अच्छा सुझाव है, यह तीन साल का प्रोजैक्ट है कम्पनी को यहां पर बीस साल और रहना है आपसे बाहर नहीं जाएंगे। अभी हमने वर्क अवार्ड रिसैटली किया हुआ है। इसके लिए जो भी डम्पिंग साइट होगी स्वयं स्लैक्ट करेंगे। एक-एक कमेटी बनेगी और डम्पिंग में उसी कमेटी के तहत कार्य करेंगे।</p>

	<p>कोलोनी बना कर दी जाये। जहां तक प्रदूषण की बात है तो कितना क्युविक मलवा यहां से निकलेगा उसके लिए डम्पिंग साईट (Dumping Site) कहां-कहां बना रखे है। और कितना क्युविक मलवा यहां से निकलेगा वहां कितना क्युविक मलवा रखने की कपैस्टी है। और उसमे ग्रास और प्लांटेशन (Plantation) का क्या प्रोविजन है। आपकी यहां पर भारी-भारी मशीनरी चलेगी तो जो हमारे पानी के स्रोत खराब हो जायेंगे। उनको बचाने के लिए आप क्या करेंगे।</p> <p>और आपकी जो दो टनल है उसको निकालने के लिए आप ३० वी० एम० मशीनरी का प्रयोग करेंगे या दूसरी मशीनरी का और अगर आप दुसरा तरीका अपनायेंगे तो उससे चारों तरफ प्रदूषण होगा। जो भी मकान वहां बचेगें उनकी विडियो ग्राफी की जायें। बरमाना मे जितने भी मकान है जब वहां पर ब्लास्टिंग होती है तो लोगों के घरों में दरारें आ जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसलिए काम शुरू करने से पहले विडियो ग्राफी जरूर करवाई जायें। प्लांटेशन के बारे में आप क्या करेंगे उसके बारे में भी बताया जायें।</p>	
9	<p><u>श्री नन्द लाल, गाँव रोहिण</u> – सर, आप बोल रहे हैं कि दो दिन पहले जो अनाउसमेंट की गई उसमें बोला गया था कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग जिसकी जो भी समस्या होगी वह डी० सी० साहब को फाइल कर सकते हैं। मेरा मकान तो पूरी तरह से रोड पर जा रहा है और साथ ही 45 मीटर की दूरी पर दूसरा मकान भी। जब मेरा मकान ही नहीं रहेगा तो मुझे प्रदूषण से क्या लेना देना।</p>	<p><u>परियोजना निर्देशक श्री कौल जी-</u> उसे पुरी तरह कम्पनसेट (Compensate) किया जायेगा। जिनका भी मकान आएगा उनको उचित मुआवजा नियमानुसार दिया जाएगा। एल० ऐ० ओ० बिलासपुर में स्थापित किया गया है लोगों की जो भी समस्यायें होंगी उन्हें एल० ऐ० ओ० देखेगा। इन सभी का मुआइना करके हम इनको अवार्ड करेंगे आप अवार्ड से</p>

		<p>संतुष्ट नहीं है इसके लिए भारत सरकार ने कमिशनर नियुक्त किया है वह आपके मण्डी में है हम आपके साथ है यह काम स्टेट पॉलिसी के तहत ही बनेगा। आपके मकान की क्षतिपूर्ति का भी पूरा ख्याल रखा जायेगा। काम शुरू होने से पहले ही हम विडियों ग्राफी करेंगे। 20-25 हेक्टेयर जमीन ले रहे है जिसमें इनकी अलग से कालौनी (Colony)होगी। 2025 तक ये लोग यहां पर रहेंगे और सडक मैटैन करेंगे। प्रोजैक्ट डारैक्टर यही रहेगा हम सब यही रहेंगे। बाकि रही फोरैस्ट की बात इससे पहले हम फोरैस्ट की कलेरैन्स लेगें और उसके बाद ही कार्य शुरू कर पायेंगे। जो मलवा निकलेगा हम उसको उसी में डाल देंगे। डी0 पी0 आर0 में पुरा प्रावधान है, पूरा डिटेल दिया है।</p>
10	<p><u>श्री राम प्रकाश , पूर्व उप प्रधान औहर</u> – माननीय ए0 डी0 एम साहब मैं 60 वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं मैं पहले भी सरकार और कम्पनी के रवैये को देख चुका हूं और कम्पनी यह पहली चाल खेल रही हैं और उनकी ओर से यह पहली चाल अच्छी नहीं हैं जिला बिलासपुर से आपतियां मांगी थी हमने आपतियां दे दी है मेरे पास भी कापी है। हमारे पटवार सर्कल अमरपुर परौर में कोई एन0 एच0 नहीं है लेकिन वहां की जमीन की कीमत 35 लाख बिघा आंकी गई है और और यहां की 10 लाख बिघा आंकी</p>	<p><u>ए0 डी0 एम0:-</u> किसी भी गाँव की 35 लाख बिघा कीमत कहीं भी नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप हमारे ध्यान में लाओं हम उसकी अमेंडमेंट जारी कर देंगे। यह क्लैरीकल गलती हो सकती है।</p>

	<p>गई हैं। जो कि बहुत कम है । (how can say that)? जबकि सरकाघांट, जिला मण्डी के पास एक सडक निकली है जिसमें डी0 सी0 साहिव मण्डी ने 35 लाख प्रति बीघा मुआवजा देकर सडक निकाली है । मैं आंकडा पेश कर सकता हूँ । हमें विलासपुर के लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। अगर हमें उसी पैटर्न पर 40 से 50 लाख विघा अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो कम्पनी को रोड बनाते समय हमारी लाशो के उपर से गुजरना पडेगा ।</p>	
11	<p><u>श्री हेम राज शर्मा पंचायत वहवा जट्टा</u>— गाँव से आया हूँ हमारे ग्राम पंचायत प्रधान श्री राज कुमार ने बताया कि औहर में एक मीटिंग है जिसके सिलसिले में हम आज यहां इकट्ठे हुए है यह एक अच्छा मौका है कि हम आज यहां इकट्ठे हुए हैं क्योंकि यह तो दिल तोडने की बात नहीं है मै घर से एक पोईट लिख कर लाया था आप भी अपने हाथों में पैन लेकर अपनी समस्याएं लिखें। फस्ट इंप्रेसन इज दा लास्ट इंप्रेसन। अपनी अपनी समस्याएं हर बुद्धिजीवी को यहां पर लानी चाहिए हमें जरूरत नहीं है कि ये लोग हमारी कमेटी बनाए हम अपनी कमेटी अपने हको की लडाई के लिए खुद बना लेंगे । यहां पर मुख्य मन्त्री साहब को बुलाएंगे। अगर हमको सही कीमतें और न्याय नहीं मिला तो हमे यहां पर आत्मदाह करना होगा। मेरे पास कुछ एक पवांईट हैं हमें मकान उसकी कैरेज समझ कर दी जाये अर्थात एक शहर की तुलना में जो मकान सडक के किनारे बने है। उनमें दोगुना से तिगुना खर्चा पडता है जो मकान सडक से 500 मीटर दूर बने है। यहां पर एक कमरा बनेगा और वहां पर तीन कमरे बनेंगे। उसकी तुलना में हमें दो से तीन गुणा पेमेंट मिलनी चाहिए। हमारे मकान जितने स्कुयेर फीट में बने हैं उतना ही</p>	<p>हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमानुसार सभी पहलुओं पर कार्रवाही की जायेगी।</p>

	<p>स्कूयेयर फीट में हमें बिलासपुर या घुमारवीं शहर में उपलब्ध करवाया जाए और शहर के सैन्टर में 5 किलोमीटर के अन्दर में ही होना चाहिए ।</p> <p>हमें जमीन की सही कीमतें मिलनी चाहिए या फिर सरकार हमें बदले में उसी तरह की जमीन सही स्थान पर उपलब्ध करवाए ।</p> <p>जिन भाइयों के बच्चें इन स्कूलों में पढ रहे हैं उन्हें स्पैस्ल आरक्षण दिया जायें। जिनकी पढाई डिस्टर्ब होगी। जिनके स्कूल एक तरफ से दूसरी तरफ को बदलेगें। रातों को ध्वनि का प्रकोप होगा बच्चें पढाई नहीं कर पायेंगे। जिन वच्चों के उपर इसका प्रभाव पडेगा या तो उन्हें स्पैस्ल आरक्षण प्रदान किया जायें। हमें और जमीन की सही कीमतें आने के बाद हमें उसकी सही कीमतें दी जायें। और शहर में दो साल तक मुफ्त रहने की सुविधा प्रदान की जायें ताकि हमारे बुढे माँ-बाप वहां पर रह सकें।</p> <p>जो व्यक्ति मकान से भी और जमीन से भी वंचित हो रहा है उनको पेट्रोल पम्प की सुविधा प्रदान की जाए ।</p> <p>आप सभी अपने-अपने कुछ पंवाट लिख कर दें हो सकता चार पंवाईट मेरे दिमाग में आयें चार आपके उन सभी पंवाईटों को मिलाकर 50-60 पंवाईट बन जायेंगें जिसमें एक लिस्ट बनेगी और हम अन्तिम सांस तक लडेंगे।</p> <p>भाखडा बांध की तरह नहीं होगा उसमें हमारे बुर्जुग उजडें है। हम आपके वच्चों के लिए नौकरी देंगे रोजगार देंगे और आप लोगों के लिए कालोनी बनायेंगें। जैसा बिलासपुर उजडेगा हम वैसा ही बिलासपुर बना कर देंगें। लेकिन हमारे बुर्जुग अनपढ थें। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा।</p>	
12	<p>श्री जगत राम , पूर्व प्रधान , औहर, जिला बिलासपुर :-</p> <p>आदरणीय ए० डी० एम० साहब, कर्मचारी वर्ग व अधिकारी गण । मान्यवर 1960-61 में जब भाखडा डैम बना उस</p>	

समय हम लोगों को बहुत सारे प्रलोभन दिए गए जैसे कि स्कूल बनेगी, रास्ते बनेंगे जमीन भी गई, घर बार भी गए, हमें कुल 1200-1200 रूपया दिया और कहा कि उठाओ और चले जाओ । तहसीलदार, कानूनगो और पटवारी आए हमें मिले । भजवाणी से हमारे घर आए । कालेज में जो बच्चे बिलासपुर जाते थे वह कीचड़ में फंसते थे, अगर नलवाडी मेले मे जाना होता था तो 22 कि० मी० घूम कर जाना पडता था। और अगर कोर्ट कचहरी में जाना होता था तो शिमला का किराया कम यहाँ का ज्यादा। ये मिला हमें भाखड़ा बांध से। जो हमारे यहां फोरलेन प्रोजैक्ट आ रहा है यह बहुत अच्छी बात है हम धन्यवाद करते हैं उसका भी और सरकार का भी । लेकिन किसी को उजाड़ने से पहले उसको बसाना जरूरी है। भाखड़ा स्कीम पहले ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है शायद अभी फैसला नहीं हुआ है । हम जानना चाहते है। कि उजाड़ने वाली सरकार, भारत सरकार और कम्पनी क्या प्रोजैक्ट लेकर आई है हम थोडा उस पर चर्चा करना चाहते हैं 1 बरमाणा में सीमेन्ट फैक्टरी कारखाना में क्या विकास हुआ सबसे ज्यादा मरीज टी० वी० के बरमाना फैक्टरी में ही है। और सीमीट पंजाब में 300 तो हिमाचल में 350 अगर पंजाब में 200 रु है तो हिमाचल में 225 रु ऐसा क्यों है? लोगों का ध्यान पहले रखा जाए और कम्पनी का ध्यान बाद में रखा जाए और लोगों की सेवा ठीक होनी चाहिए । क्या यह कम्पनी हमारे बच्चों को नवोदय स्कूल जैसे में प्रवेश देंगे। क्या फोरटिस जैसे अस्पताल में वह हमारा उपचार करवायेंगी। अगर हमारा कोई परिवार आज उजड़ता है तो उसे बसने के लिए 40 साल लगते हैं। कमेटी व विभाग जो तय करेंगे आज से 40 साल बाद इवैल्युवेशन होगा उसके आधार पर मुआवजा हमें दिया जायें। जब कोई मैनेजर,

	<p>कर्मचारी निर्देशक जिला अधिकारी जब उसका 1, 1.25 लाख में गुजारा नहीं चलता, और जो हमारा किसान है, जो बची -खुची जमीन है उसमें क्या होगा। ए0 डी0 एम0 साहिव 100 विघा मेरी जमीन गई है। 10-12 विघे जो बच गई है उसके बीच से फोर लेन ले जा रहे है। किसी को कोई कन्सलट नहीं किया गया। किस तरफ से लेनी है एक तरफ से लो। बेडा गरक कर दिया है। मकानों को बचाओं मकानों की बैक साइड से जाती है तो वहां से ले जाओं हम कब इन्कार करते है। कोई प्रभावशाली नेता के चकमें आ गया, कोई किसी के चकमें में आ गया। हमारी सारी की सारी जमीन ले लो लकिन हमें 40 साल का मुआवजा दिया जायें। गरीब जनता है शाम को कमाती है और सुवह खाती है और सुवह कमाते है तो शाम को खातें है। जो लोग उजड रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी लें और लिखित रुप में हमें ये कौपी दें कि ये हम आपको दें रहे है। हम 7-8 साल के थे जब भाखडा डैम बन रहा था आज हम 72 वें साल में जा रहे है लेकिन हमें आज तक कुछ नही मिला। 685 प्लैट आज तक आपके विचाराधीन है हमें प्लौट (Plot) नहीं मिला जो वाद्दा आपनें हमारें साथ किया था वह भी आज तक विचाराधीन है। लेकिन आपनें जो प्रदूषण के बारे में आपनें कहा वह तो आपनें पहले ही बता दिया था। प्रदूषण मैने बरमानें वाला बता दिया लोग मेले को जाते है हम मेले को भी नही जातें क्योकि वहां धुल ही बहुत उडती है। प्रदूषण वालों ने कहा कि यन्त्र लगायेंगे बैसे यन्त्र यहां भी लगेगें। पहलें आशा लोगां रा ध्यान रखना बाद ते कम्पनी रा। लेकिन लोगो की ठीक सेवा करों।</p>	
13	<p><u>श्री लाल चन्द पंडगल</u> - मैने जब सर्वे करने वाले को अपना समान लेकर गांव में आते देखा तो मैने उसे पूछा</p>	

कि यह नई चीज आप यहां पर क्या लगा रहे है ।
 उन्होंने कहा कि हम सर्वे कर रहे है । वे कहने लगे कि
 सडक आ रही है, अच्छी बात है कि सडक का सर्वे कर
 रहे है उन्होंने बोला यहां कहा से सर्वे कर रहें है इस तरफ
 तो पहाडी है। यहां हरिजन बस्ती है उनके पास 5-7
 विस्वा जमीन पडी है। उसमें 9 परिवार रह रहे हैं। उन्होने
 कहा कि इन घरों से हमारा कोई कनसरन (concern)
 नहीं है । हम सिर्फ इस गांव का नक्शा बना रहे हैं मगर
 यह सडक दूसरे किनारे से जाएगी । उन्होंने नही बताया
 कि सडक उन्ही के मकानों के उपर से होकर जा रही हैं
 और उनके मकानों के पास डण्डे जैसे खडे कर दियें। और
 वह जो मकान है वह हरिजन बस्तीयों के जिनके पास ।
 विघा /7 विस्वा जमीन है। उसमें से 4 परिवार वी0 पी0
 एल0 परिवार है लेकिन उन्हे ये नही बताया गया कि यहां
 से फोर लेन जा रही है। नौणी चौक से गाँव शुरु हुआ वह
 पहला ही गाँव है। जब उन्होने वहां पर डण्डे गाढ़ दिये तो
 बोला कि यहां से फोर लेन जा रहा है। मै इतना ही कहना
 चाहता हूँ कि इसके उपर विचार किया जाए ।

14

श्रीमति निर्मला राजपुत गांव नौणी जिला बिलासपुर - सर,
 आज जो हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं उसके उपर मैं यह
 कहना चाहती हूँ कि जो ये फोरलेन बन रहा है, बहुत
 अच्छी बात है लेकिन सर, जो लोग इससे उजड़ रहे हैं
 उनके बारे में मेरे से पहले भी बहुत अच्छे विचार आए हैं ।
 परन्तु खेद है कि इससे पहले भी हमारे गांव के लोग
 विस्थापन का दंश झेल चुके हैं । उन गांवों की हालत
 बदतर है वहां पर न ही सडक है, न ही पानी है, और न
 ही पेयजल का अच्छी तरह से प्रावधान है, और वहां के 90
 प्रतिशत लोग भाखडा विस्थापित हैं । इन लोगों पर कभी
 भी कोई ध्यान नहीं दिया गया । उनके लिए कुछ एक मांग

	<p>यहां पर रखना चाहती हूं । जिन लोगों की जमीने जा रही हैं उन्हें कम से कम 5-5 , 10-10 विस्वा के प्लांट दिए जाएं । उनके बच्चों को विस्थापित घोषित किया जाए और उचित शिक्षा, अच्छे स्कूल, एक जैसी प्रतिशतता के हिसाब से उनको नौकरियां देने का प्रावधान किया जाए । उनके लिए मकान और अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई जाए जिससे उनका जीवन विस्थापन होने की बजह से दूमर न हो जाए । उनकी हर मांग को ध्यान में रखते हुए पुरा किया जायें यह मांग कही पांच लाख, दो लाख और कही 10 लाख है । जिन लोगों को तो पता लग गया उन्होंने तो अपनी रजिस्ट्रीयां जल्दी-जल्दी बनवा दी लेकिन जिन लोगों को पता ही नहीं था वहां की कोई रजिस्ट्रीयां नहीं बनी है और वहां की 2 लाख वैल्यु आंकी जा रही है । तो मेरा आपसे अनुरोध है कि गरीब लोगों का ध्यान रखकर उनकी सहायता की जायें । जिनकी भी थोड़ी बहुत जमीन बचेगी उसका आप क्या करेंगे । इसके लिए एक कमेटी बनाई जायें और सब लोगों का ध्यान रखा जायें ।</p>	
15	<p>श्री पी० एल० चौधरी , उपप्रधान ग्रम पंचायत डमली - आज की इस जन सुनवाई के अध्यक्ष अति० उपायुक्त महोदय, एल०ए०ओ० श्री बी०डी०शर्मा, जी, और नैशनल हाईवे अथारिटी आफ इन्डिया के अधिकारी और यहां पर उपस्थित ग्रम पंचायत से आए हुए बुजुर्गों, माताओ और बहनों, प्रदूषण के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहुंगा, यह तो सब पता हैं । लेकिन इस क्षेत्र से जब फोर लेन निकलेगा तो प्रदूषण तो इतना होगा कि जो हमारें जल स्रोत होंगे उनपर तो असर पड़ेगा ही ।और हमारा 2-3</p>	

किलो मीटर का ही ऐसा क्षेत्र है जिस पर लोगों ने आम के बगीचे लगाये हैं। हमारे जितने भी आम के बगीचे हैं। सारे के सारे प्रदूषण से खराब हो जायेंगे। हमारी आजीविका का पूरा साधन खत्म हो जायेगा। मेरे पास भाखडा विस्थापित के 25 परिवार आज भी ऐसे हैं जिनको आज तक पानी तक मुहैया नहीं करवाया गया। हमारे लिए विकास के साथ-साथ विनाश भी साथ है। मेरी डमली पंचायत में 6-7 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 50 सालों में एक प्लॉट बनाया था वह भी रोड पर आ रहा है और सब लोग उजड़ रहे हैं। उनके पास तो टैन्ट लगाने के लिए भी जगह नहीं बचेगी। मैं जनता के माध्यम से अधिकारी गण के सामने ये बात लाना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं बचेगी उनके साथ लिखित एग्रीमेंट किया जाये। मैहरोइयां में चार परिवार ऐसे हैं कि उनका सब कुछ उजड़ रहा है। उनकी सारी आजीविका का साधन जा रहा है आम का बगीचा भी जा रहा है। लेकिन मेरी राष्ट्रीय उच्च मार्ग वालों से प्रार्थना है कि उन्हें सब कुछ मुहैया करवाया जाये। काटा हुआ घास ज्यादा दिन नहीं चलता। वह समाप्त हो जाता है। जिनके पास एक विघा जमीन ही नहीं रहेगा उन्हें स्पैसल कोटे में रखा जाये और लगभग उन्हें 40 साल तक कम से कम पूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी की उचित व्यवस्था का मुफ्त प्रावधान किया जाये। और हर घर से कम से कम एक व्यक्ति को स्थाई रोजगार दिया जाए।

श्री दर्शन कालिया अतिरिक्त जिला उपायुक्त जिला विलासपुर: और भारतीय राष्ट्रीय उच्चमार्ग के यहां पर मौजूद प्रोजेक्ट निर्देशक श्री कौल जी और इस प्रोजेक्ट के लिए एल0 ए0 ओ0 श्री बी0 डी0 शर्मा जी, आज यहां आकर सही मायने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि आप लोगों के साथ शेयर किया। दो तीन चीजे मैंने देखी पहली चीज यह देखी कि आप सब लोगों की तरफ से अच्छा उतर मिला है सब लोगों ने यह कहा कि राष्ट्रीय उच्चमार्ग बन रहा है। हमें इस बात की खुशी है कि यह एक विकास का कार्य है। मैं सभी का इसके लिए धन्यवाद भी करता हूँ। थोड़े से मेरे साथी कुछ जोश में भी थे शायद उनकी पहले कोई पीड़ाएं रही होगी।

परन्तु मैं आज आपसे कह सकता हूँ कि अभी ऐसा देखने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं सुनने के लिए, प्रोजैक्ट निर्देशक ने आपको बड़े ध्यानपूर्वक सुना और मैं यह कह सकता हूँ कि यह जो कार्यक्रम है पब्लिक हीअरिंग प्रदूषण से संबन्धित थी। परन्तु आप लोगों ने जो दिक्कतें बताई आप लोगों ने अपने मन के विचार व्यक्त किए अच्छे हैं। जहां तक प्रदूषण की बात है मैं बेशक पहले में यहां पर उन्ही के साथ बैठा हूँ परन्तु बड़े क्लियर तौर पर मेरा दिल आप लोगों के साथ है। प्रदूषण पर जो आंकड़े दिए गए हैं वह आंकड़े सन्तोषजनक नहीं हैं। इस समय जो मेरे पास आंकड़े हैं 1000 करोड़ रुपये के इस प्रोजैक्ट में से सिर्फ 2 करोड़ रुपये प्रदूषण के लिए खर्चना पड़े जो बहुत ज्यादा कम है। इस प्रोजैक्ट के लिए जो 1000 करोड़ के आंकड़े हैं उसमें से 2 करोड़ रु? ये मेरी तरफ से इस प्रोजैक्ट को सलाह रहेगी। और इन आंकड़ों को सुधारियें। प्रदूषण को कम करने के लिए ज्यादा राशि का प्रावधान किया जायें। मेरी आपको एक सलाह रहेगी कि शुरू में यहां पर कि किसकी कितनी जमीन जानी है, कौन सी किसी जमीन जा रही है, मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी पहले अधिसूचना हो जाती तो बहुत अच्छा होता। ये अधिसूचना इनकी तरफ से चली गई है बहुत जल्द ही प्रकाशित होकर आ जायेगी। कौन सा खसरा नम्बर कौन सी जमीन से जा रहा है। जो लोग जमीन से वेधर हो रहे हैं। इन लोगों को इस एक्ट में ज्यादा से ज्यादा राहत दी जायें। जो हमारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग आ रहा है वह अभी तक किरतपुर तक पहुंच गया है। ऐसा नहीं है कि एन0 एच0 पहले कभी नहीं बना है। जहां – जहां भी पहले बना है एल0 ऐ0 ओ0 साहिव वहां पता जरूर करें। कि वहां पर जनता को कौन से अच्छी से अच्छी सुहलतें प्रदान की गई वह यहां पर भी मिलनी चाहिए। एन0 एच0 एक्ट के आधार पर इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाए। यह सारा प्रोसैस जल्दी से जल्दी हो जाना जरूरी है। प्रदूषण के लिए जो दो करोड़ रुपये की राशि रखी गई है जो कि बहुत तुच्छ है, बढ़ाई जाए। इस हाइवे प्रोजैक्ट को जनता की इच्छानुसार इस पर अमल करेंगे।

अंत में हाइवे अथारिटी आफ इन्डिया के परियोजना निर्देशक ने उपस्थित जनता से परियोजना को क्रियान्वित करने में सहयोग मांगा तथा क्षेत्र के विकास में यथासंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा जनता का आभार व्यक्त किया।

अन्त में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर व सहायक अभियन्ता पर्यावरण बोर्ड बिलासपुर द्वारा लोगों का आभार व्यक्त किया गया।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 24-04-2012 को जन-सुनवाई महाराजा लक्ष्मण सेन स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रांगण, सुन्दरनगर जिला मण्डी हि0 प्र0 में एन0 एच0 21 के बिलासपुर से नैरचौक तक के सड़क खण्ड के 4 लेन पुनरोद्धार एवं उन्नयन एवं सुदृढीकरण हेतु आयोजित जन-सुनवाई की कार्यवाही का विवरण:

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 24-04-2012 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जन-सुनवाई का आयोजन अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, मण्डी की अध्यक्षता में सुन्दरनगर में किया गया। इस जन-सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों की सूची संलग्न है। सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण, बोर्ड के प्रतिनिधि श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, हि0 प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण, बोर्ड, बिलासपुर द्वारा आयोजित जन-सुनवाई की पृष्ठभूमि तथा इसके आयोजन के उद्देश्य से उपस्थित जनसमूह को अवगत कराया गया। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जन-सुनवाई की कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार के सदस्यों द्वारा परियोजना के प्रारूप और विस्तृत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। इस जन-सुनवाई की कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0	लोगों द्वारा उठाये गये सवाल	मुद्दों पर टिप्पणी
1.	<p><u>श्री जोगिन्दर वालिया, अध्यक्ष, किसान सभा, गांव भौर, डा0 कनैड, जिला मण्डी हि0 प्र0 -</u></p> <p>मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि जो आई सी0 टी0 वालों ने जो प्रोपोजल बनाया है इसमें जो टोटल प्रोपोजल मण्डी जिला से संबन्धित है, यह 63 किलोमीटर का प्रस्तावित क्षेत्र है। इसमें जो नया क्षेत्र है वह 52 किलोमीटर का क्षेत्र है जो कि 45 किलोमीटर क्षेत्र में आएगा। उसके बाद दो क्षेत्र ऐसे हैं जो जड़ोल से लेकर सुन्दरनगर तक और सुन्दरनगर से आगे धनोटु से वाईपास का प्रस्ताव है। (नौलखा से डडौर का जो 4 किलो मीटर का क्षेत्र है वह क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है जो 11 कि0 मी0 का स्पैन बचा उसमें एक रोड और है) जो की नौलखा तक जायेगा जो कि बहुत कम है। यह रोड टोटल 63 किलोमीटर ही रहना चाहिए। इसे डिस्टर्ब (Disturb) क्यों किया जा रहा है। इसमें 656 लोग प्रभावित हो रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि आई0</p>	<p><u>परियोजना निर्देशक श्री सतीश कौल जी -</u> वैसे यह जो सड़क बनाई जा रही है यह लोगों को तंग करने के लिए नहीं बनाई जा रही है। इसे आपकी सुविधा के लिए ही बनाया जा रहा है। आपको पता है कि स्वारघाट में बहुत जाम लगता था जिससे आम आदमी बहुत परेशान होता था। इससे निजात दिलाने के लिए भी फोरलेन रोड बनाया जा रहा है। आपको जो भी इस फोरलेन बनने के समय तकलीफ होगी उसे हम देखेंगे और तुरन्त विचार करके उचित फैसला लेंगे।</p>

Handwritten signature

सी0 टी0 वाले इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के सहयोग से कनसीडर (consider) करे । एस0 डी0 एम0 सुन्दरनगर यहां पर बैठे है, वे भी जानते है कि इस क्षेत्र के अन्दर सबसे ज्यादा कन्जसन (congestion) है और यह सबसे ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन क्षेत्र है तथा ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है और रोजाना दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं । यहां की समस्या इतनी गम्भीर है कि उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते । दूसरी बात यह है कि कल को आप प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का नोटीफिकेशन लाएंगें कि यह फोरलेन बननी देश हित में है तथा देश की सुरक्षा के हिसाब से बहुत जरूरी है । अगर आपने यही करना है तो मैं तो कहता हूँ कि यह रोड़ हमारी जमीनों के एक साईड से निकाला जाए । मेरा घर जो 24 मीटर एक साईड से जा रहा है और 30 मीटर वहां मेरी जगह है तो मानको के हिसाब से जो 6 विस्वा बचेगी उसका मैं क्या करूंगा । लेकिन सवाल यह है कि जब वह तोड़ेंगे तो मेरा तो पूरा घर ही टूटेगा तो उसे पहले ही पूरा ले लिया जाए । वह थोड़ी सी जगह भी मेरे किसी काम की नहीं रहेगी । हम सरकार के खिलाफ नहीं है कि सडक न निकले यह रोड़ तो 80 कि0 मी0 रह जायेगा हमें तो चण्डीगढ जाना और आसान हो जायेगा। मेरा मानना है कि आपने जो रोड़ लेना है वह आप चाहें 30 मी0 लो चाहें 40 मी0 लो हम इसके खिलाफ नहीं है। हम विकास के खिलाफ नहीं है लेकिन मेरा मानना यह है कि रोड़ को शहर के एक साईड से लिया जाए । इस रोड़ पर कन्जसन ही रहेगा और सारे लोग इस रोड़ पर ही चलेंगे फिर दूसरे रोड़ से नहीं जाएंगें । तीसरा मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो हमारे चार लिंक है वह 500 मीटर के दायरें पर है । कनैड से आगे चलकर डावण गांव के लिए कुनैक्टिविटी (connectivity)

कश्यप

जाती है । उसके बाद डावण को रोड़ जाता है और आगे डिस्पैन्सरी, स्कूल तथा सैरीकल्चर फार्म हैं । यह तो मैंने 500 मी० के बारे में ही कहा लेकिन फोर लेन की गार्ड लाईन है की हम 500 मी० तक सीधा देखेंगे । मैं अगर डडोर चौक से अपने घर को आना चाहूंगा तो कहां से आऊंगा । कृप्या बतायें । क्या डावण जाने वाला कनैड से आएगा । उसके लिए जो आप 24 मीटर की बात कर रहे हैं, आप बताओ कि सर्विस रोड वहां पर कहां रहा । माननीय कौल साहब ने कहा कि 45 मीटर का सर्विस रोड होगा । उसके साथ जोड़ने के लिए जो आपका लिंग रोड होगा उसे कैसे प्रस्तावित करेंगे । चौथी एक सबसे जरूरी कलियरेंस आपको करनी होगी कि क्या अलग रोड बनेगा या बाई पास होगा लेकिन मान लो नहीं बनता है । अगर आपने बना ही दिया तो 24 मीटर के दायरे में रहना एक जेल जैसा हो जाएगा मेरी पंचायत जहाँ से शुरू होती है वह है नागचला । वह फलड प्रोन (flood prone) क्षेत्र है । नेरचौक वालों को आजतक कोई क्षतिपुर्ति नहीं मिली ढढौर के उपर से पानी आता है । अगर आपने उसके निवारण के लिए कुछ नहीं किया तो रुक जायेगा । आपसे मेरा निवेदन है कि ढढौर में फलाई ओवर बनना चाहिए । यह हाईली फलड प्रोन क्षेत्र है । इसलिए उस एरिया में कोई विकास नहीं हो सकती । क्योंकि हमारा औद्योगिक क्षेत्र रती में है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस क्षेत्र में आपको फलाई ओवर का प्रस्ताव बनाना ही पडेगा । मेरा सुझाव है माननीय सरकार से व श्री सतीश कौल, परियोजना निर्देशक जी से कि सुन्दरनगर से नेरचौक तक फलाई ओवर बनाया जाए । पंजाब में भी 8 किलामीटर का जिरकपुर से सीधा परवाणु के लिए फलाई ओवर है । क्यों न आप इस 63 किलामीटर वाले स्पैन को 52-53 किलोमीटर करें और सिर्फ 7

५५/

	<p>किलोमीटर को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं । क्योंकि यहां कि जनता छोटा मोटा इसी क्षेत्र में व्यापार करती है । यह क्षेत्र ऐसा है माननीय ए० डी० एम० साहब यदि व्यापार नहीं होगा तो इस क्षेत्र के बच्चों के लिए कोई रोजगार का साधन नहीं होगा । इस रोड के आने से जब रास्ता ही नहीं बचेगा तो कौन खड़ा होगा, उसकी दुकान से सामान लेने, पता नहीं वे दुकानदार क्या करेंगे? इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि इस फलाई ओवर का प्रावधान अवश्य करें । इस इलाके के हकों के लिए यह किसान सभा हमेशा यहां की जनता के सहयोग के लिए खड़ी रहेगी । लेकिन अगर आप लोगों को तोड़ेंगे, तो हम आपको थोड़ा सा तोड़ेंगे जरूर ।</p>	
2.	<p>श्री विजय अवरोल , गांव कनैड, जिला मण्डी – सर, जैसा कि वालिया जी ने रोड के उपर नौलखा से लेकर डडौर तक अभी मुझसे पहले डिस्कस किया, इस पर मैं भी अपना सुझाव देना चाहता हूं । जब आप सुन्दरनगर से नौलखा बाईपास निकाल रहे हैं तो क्यों न इसको सुकेती खड्ड तक चैनलाईज किया जाए वहां से अगर आप सीधा डडौर बाईपास निकाल दें तो सारी समस्या का ही हल हो जाएगा । कोई भी तंग नहीं होगा भूमि भी आपको सस्ती मिलेगी ।</p>	
3.	<p>श्री उपेन्द्र ठाकुर, ग्राम पंचायत चौक, नौलखा जिला मण्डी- मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं भारत सरकार का जिन्होंने इतना बड़ा प्रोजैक्ट हमें इस इलाके के लिए दिया है, इसमें कोई राजनिति नहीं की गई है । हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए आज आप यहां आये हैं । मैं धन्यावाद करना चाहता हूं प्रशासन का तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सडक परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार से आए हुए परियोजना निदेशक, श्री सतीश कौल जी का । यह</p>	<p>श्री सतीश कौल, परियोजना निदेशक-आज की बैठक केवल पर्यावरण से संबधित थी । जहां तक भूमि अधिग्रहण का सवाल है इसका केन्द्रिय सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजा गया है । यह जैसे ही आएगा राजपत्र में जारी कर दिया जाएगा । उससे साफ पता चल जाएगा कि कौन सा गांव, कौन सी</p>

बोर्ड

बात ठीक है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पडता है । लेकिन आपने पहले यह नहीं बताया कि एन0 एच0 आ रहा है और किन-किन लोगों के घर टुटेंगे। पहले यह तो साफ किया जायें की कहां से ले रहें है दायें से या बायें से। जहाँ तक फलाई ओवर की बात की जा रही है, मैं बिल्कुल पूर्व वक्ता श्री जोगिन्द्र वालिया की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ । लेकिन हमें आई0 सी0 टी0 वालों के सर्वे के अनुसार यह पता चला है कि हमारा घर 4-5 मीटर जाएगा परन्तु मेरा घर तो पूरा ही डिसमैटल किया जाएगा । पहले तो यह बताया जाए कि कितनी जमीन कहां से ली जा रही है । पिछले दो सालों में इस रोड पर जितनी भी दुर्घटनायें हुई वह बाईक से सम्बंधित सबसे ज्यादा व्यक्तियों के एक्सीडेंट हुए है और कम से कम 25 साल से कम उम्र के व्यक्तियों की मौतें हुई है। इसलिए यह रोड सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो आंकड़े आपने मरने वालों के बतायें वह संतोषजनक नहीं है। इससे कहीं ज्यादा है । इसका समाधान किया जाना बहुत जरूरी है । हमें मुआवजा कितना मिलेगा प्रभावितों को मारजन मनी (margin money) कितना मिलेगा । जो जिन्दगी भर की मेहनत से हमने अपने लिए घर तैयार किया है क्या उस पैसे से हम अगले पाँच सालों में भी घर बना पाएंगे । अगर मेरा मकान 10 कमरों का है तो क्या मैं ऐसा घर बना पाऊंगा । जो सरकार ने रोड का काम शुरू किया उसके लिए हम खुश है। सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितना पैसा हमें दे रहे है इसका भी हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए । सरकार ने जो यह फोरलेन बनाने की शुरुआत की है उससे हम बहुत खुश हैं । जहां पर यह रोड बनेगा उसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु पहले कम से कम हमें

तहसील और किस खसरा नम्बर की कितनी भूमि हम लेने जा रहे हैं । अधिसूचना होने के बाद 21 दिन के अन्दर एल0 ए0 ओ0 विलासपुर में जो आफिस अभी खुला है वहां जाकर अपना ऑवजैक्सन फाईल कर सकते हैं । वहां हमारे एल0 ए0 ओ0 साहब उपलब्ध रहेंगे । जहां तक मकानों की बात है उसका पुर्नमुल्योंकन लोक निर्माण विभाग के द्वारा करबाया जायेगा । और जो भी क्षतिपुर्ति होगी हम उसका पूरा मूल्य देंगे ।

कृप

	यह कलीयर (Clear) करें कि हमें सहायता क्या दी जा रही है ।	
4.	<p><u>श्री एम0 एस0 चौधरी ,गांव डडौर, जिला मण्डी</u> मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जैसा कि वालिया जी ने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान सुन्दरनगर से डडौर तक हो रहा है । वहाँ के लोगों को कोई पता नहीं है कि हमारा घर जा रहा है या नहीं , उनको यह पता नहीं कि जमीन कितनी जा रही है । उन्हें यह बताया जाए कि आगे क्या करना है । क्योंकि यहां पर जो लोग रहते है बहुत कम जमीन उनके पास है । दूसरा प्रश्न मैं बाई पास का पूछना चाहता हूँ । डडौर से नागचला जैसा कि वालिया जी ने कहा कि यदि वहां पर रोड बनता है तो वहां पर सबसे उपजाऊ भूमि खराब हो जाएगी हैं । उसका खास ख्याल रखा जाए और उस भूमि को बचाया जाए और इस क्षेत्र में फलाई ओवर बनाया जाए ताकि लोगों की जमीन वहां खराब न हों , यह मेरा आपसे अनुरोध है ।</p>	<p><u>श्री सतीश कौल, परियोजना निदेशक-</u> जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि बराबर यह अधिसूचना 3 । की बडे अखबारों में आएगी ।यह अधिसूचना अनुच्छेद 3-डी0 के अर्न्तगत होगी । इसमें सब व्यक्तियों के नाम आ जायेंगे जिनकी जमीन जा रही है। उसके बाद आपतियां ली जायेंगी और आपतियाँ प्राप्त करने के बाद उसमें नाम व खसरा नम्बर इत्यादि सब होगा और हमें जितनी भूमि की जरूरत होगी उतनी ही ले ली जाएगी । उसी अधिसूचना के अनुसार आपको मुआवजा भी दिया जाएगा ।</p>
5.	<p><u>श्री जोगिन्दर वालिया -भौर - मण्डी</u> सर, लोगों को पता चल गया है कि हमारी जमीन आ रही है जिसकी 30 मीटर आएगी उससे सिर्फ 24 मीटर ही न ली जाए क्योंकि वे उस बची हुई 6 मीटर जमीन का भी कोई प्रयोग नहीं कर पाएंगे । आप पब्लिक मिटींग तो करो ना। और इसके साथ लगती दुकानों का क्या होगा? यहां पर लोगों ने जिस दिन से यह सुना है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग आ रहा है व्यापार की दृष्टि से लोग बहुत परेशान है ।यहां भाई विजय गोयल जी है जिनकी दुकानदारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी । कनेड और भौर के बीच की दुकानों का क्या होगा । क्योंकि रोड उन दुकानों से उंचा होगा और दुकानें नीचे चली जाएगी । हमारे लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी दुकानें बनाई हैं और तब जाकर वे छोटे मोटे व्यवसाय</p>	

	<p>कर रहे हैं । उनकी दुकानदारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी । 24 मीटर में कोई स्पेश नहीं रहेगा । गरीबों का पूरा ख्याल रखा जाए तभी आज की इस जन-सुनवाई का सही मायने में अर्थ निकलेगा ।</p>	
<p>6.</p>	<p>श्री ओपीओ मौदगिल, प्रधान – ग्राम पंचायत डैहर जिला मण्डी में इस फोरलेन का जो यहां से निकलने जा रही है, इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ । साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जहां विकास होता है वहां विनाश भी होता है । कहावत कि ओर क्यों जाना है । मैं तो डैहर पंचायत के बारे में थोड़े सवाल रखूंगा । जहां हमारी डैहर पंचायत में फोरलेन के कार्य के लिए जो जमीन जा रही है । वहां पर हमारा एक बहुत पुराना रोड है और अन्य गांव के बीच जाने के लिए भी छोटे छोटे रोड हैं । जब आपकी फोरलेन वहां से निकलेगी तो ऐसा न हो कि डैहर के लिए कोई स्टॉपेज Stopage न हो और सीधा सुन्दरनगर बन जायें । हम चाहते हैं कि डैहर में जो रोड है उसका लिंक वहीं साथ में फोरलेन के साथ किया जाए न कि 20 किलोमीटर की दूरी पर किया जायें ।</p> <p>जैसा कि जमीन के बारे में बात की गई कि हमारे मकान और जमीन जा रही हैं । आप सिर्फ 150 मीटर जगह का पैसा देंगे । परन्तु वहां जो मकान 2 विस्वा के बीच बना था, अगर उसमें आधा विस्वा जमीन बच जायेंगी तो उसका मैं क्या करूंगा । अतः जो साथ वाली बची हुई जमीन है उसका भी विभाग को पूरा पैसा देना होगा ।</p> <p>इस रोड के निकलने से हमारे पानी के जो स्रोत है वह पूरी तरह से खराब हो जायेंगे । जब रोड निकलेगा । क्योंकि हमारा डैहर एरिया जो साथ में एक किलोमीटर की दूरी पर जो हमारी पुरानी वावडी है कुंए हैं, उनकी</p>	<p>श्री सतीश कौल, परियोजना निदेशक— उसका पूरा प्रावधान डी0 पी0 आर0 में रखा गया है । इन सब समस्याओं का जबाब हम दे भी चुके हैं । हम झूठा वायदा नहीं करना चाहेंगे । नैशनल हाइवे की डी0 पी0 आर0 के अन्दर जो सुविधाएं देने का प्रावधान होगा वे सभी प्रभावितों को उपलब्ध अविलम्ब करवाई जाएगी । इसमें एक एक्ट बना हुआ है हम उस एक्ट से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि यह भारत सरकार से स्वीकृत है । पेंशन का वादा मैं नहीं कर सकता क्योंकि हम एक्ट के बाहर नहीं जा सकते । इसमें नियम बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है । जहां पर भी दुर्घटनायें होंगी वहां पर हमारी टोल प्लाजा में एम्बुलेंस लगी होगी ऐसी स्थिति में आपको तुरन्त सुविधा मुहैया करवाई जायेंगी । आपका ट्रैफिक भी न रुके इसके लिए पैट्रोलिंग भी की जायेंगी । कम्पनी इसका 25 वर्षों तक देख-रेख और रख-रखाव का पूरा ध्यान रखेगी ।</p>

रख

पूरी निगरानी व रखरखाव उच्च मार्ग वाले करें ताकि हमारा पानी खराब न हो। उसके लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए। जो कम से कम 50 साल तक नोट कमाएंगे। अभी पैसों की बात आई ही नहीं है। यह भारत के अखाद्य रोड चाईना के लिए निकल रहा है। 'ना विलिंग नो फिलिंग' इस बारे में हम सभी जानते हैं। पैसा कमाने वाली कम्पनी पैसा कमायेगी इसमें गरीबों को शायद ही कुछ मिले। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, जैसा कोलडैम बनने से हुआ है, लोगों को पैसा मिला है, परन्तु आज उन लोगों के पास पैसा नहीं बचा है सिर्फ 10 परसेण्ट (percent) लोगों के पास पैसा बचा है, 90 परसेण्ट लोगों के पास पैसा नहीं बचा है। मेरा यह कहना है कि कम से कम जिन लोगों की जमीन जाएगी उस घर से 60 साल से उपर के बुजुर्गों को 5 हजार प्रतिमाह पेंशन लगे। जो उनकी चल और अचल सम्पत्ति थी वह तो रोड में चली जायेगी पैसा तो वह कमायेगे। एक प्वाइंट और नोट किया जाए कि डैहर के अन्दर जो पी0 एच0 सी0 है उनके लिए हाइवे की तरफ से एक ऐम्बुलेंस होनी चाहिए। क्योंकि एक कहावत है 'सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से खुशबु नहीं आ सकती कागज के फूलों से। 20 किलो मीटर के एरिया में जो दुर्घटनाएँ होती हैं उनके लिए मुफ्त ऐम्बुलेंस की सुविधा लोगों को होनी चाहिए। ताकि सुन्दरगर और मण्डी के लिए आपातकालीन स्थिति में रोगी को तुरन्त पहुंचाया जा सके। उनको सी0 एस0 टी0 वालो के तहत जिला अस्पताल और राज्य अस्पताल में लेकर जायें। और ज्यादा न बोलता हुआ आपका धन्यावाद करता हूँ। हमारी फरीयाद है कि हमारे पेंशन के बारे में भी कुछ किया जायें।

श्री...

7.	<p>श्री बेली राम गांव पंचायत डडौर, जिला मण्डी:- जैसे आप करोड़ों रुपय मुआवजा इन लोगो को दे देगें उसके बाद कहेगें कि आप यहां से उठ जाओं। यदि नहीं उठेगें तो निकाल दिये जाओगें। ये लोग अपनी टैची लेकर कहां जायेंगे जो इनके लिए तो कार्ला पानी हो जायेंगा। इनके लिए क्या राष्ट्रीय उच्च मार्ग वालों की तरफ से इनको रहने के लिए मकान देगी या पुर्नवास के लिए जमीन देगी। ये मेरा सवाल है। सडक के किनारे जो दुकानदार हैं वे कहा जाएंगें जब उनकी दुकाने तोड़ दी जाएगी।</p>	<p>श्री सतीश कौल, परियोजना निदेशक- एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है।</p>
8.	<p>श्री हुकम चन्द, एडवोकेट, ग्राम पंचायत डडौर, जिला मण्डी -यह कहना चाहूंगा कि जो सुन्दरनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ मेरी जमीन और मकान है उसका क्या होगा। आज का जो मुख्य मुद्दा है वह यह है कि पर्यावरण से क्या हानियाँ और लाभ होने जा रहे हैं। इस मुद्दे पर लोग इधर-उधर भटक रहे हैं जो सरकार की बात है यह बड़ी कीमत की बात कि जो सरकार ऐक्वजिसन के प्राधिकारी ऐसे नहीं देंगे तो हम दूसरे ढंग से भी लेना जानते हैं लेकिन आज का जो मुद्दा है वह पर्यावरण से सम्बधित है पहले जो हमारा डैहर से होकर रोड जाता था। यें तो प्रधान जी ने पहले बोल दिया ठीक हो गया। आगे जो यह मिलेगा यह पुल तक मिलेगा, आगे नौलखा तक होगा। बीच का जो बाई पास (by pass) क्षेत्र है उसमें लोग कलैरटी (clarity) चाहते है कि यें बाई पास कैसे बनेगा इसका अलग से टैंडर होगा। या जब तक ये बाईपास नहीं बनता है तो आप इसको सडक से एक्सपैंड करेगें। हाइवे वाले क्या क्या करने जा रहे है। क्या लोगों के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगें, क्या बाई पास की व्यवस्था होगी। क्या यह रोड नैरचौक तक जो बनेगा क्या इसका टैंडर हो</p>	<p>परियोजना निदेशक श्री कौल जी- यह जो सुन्दरनगर बाई पास के बारे में आपने पूछा यह बाई पास हमारे प्रोजैक्ट से शुरू से ही प्रस्तावित था। यह रोड राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग के मुख्य अभियंता राज्य सरकार के अधीनस्थ हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0 पण्डोह के अन्दर आता है इसका कार्यभार इन्ही के अण्डर दिया गया है इसलिए यह निर्णय लिया गया कि सुन्दरनगर बाई पास हि0 प्र0 राज्य सरकार ही बनायेंगी दोहरा लेन यह लोग बनाएंगें और उसको बाद हमें हैडओवर करेगें। इसी को हम दो से चार लेन बनायेंगे, यह रोड तभी शुरू होगा जब यह चरण पुरा होगा। जो राज्य सरकार का रोड है वह राज्य उच्च मार्ग बनकर राज्य सरकार को आउटोमैटिक ही हैडओवर हो जायेंगा।</p>

	चुका है, क्या यह नौलखा तक एक्सटेंड होगा और यह सुन्दरनगर का बाइपास किस तरह से बनेगा ।	
9.	<p><u>श्री राम लाल , गांव देहवी ग्राम पंचायत कांगूं , जिला मण्डी</u> — मेरा आप से एक अनुरोध है कि मैंने एस0 डी0 एम0 सुन्दरनगर के माध्यम से आपको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारी के लिए जो समस्यायें भेजी थी उन्हें आर0 डी0 155 —56—57 उपजाऊ भूमि को काट दिया जा रहा है एक साईड से लो जैसे ये ग्राउंड है आप बीच से नहीं ले जा सकते जीमीदार आदमी है दोनो तरफ से काम नहीं कर सकते इसलिए जमीन एक तरफ से ले। अगर आपने जबरदस्ती की तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटायेगे। आपके अधिकारियों ने मुझे भी धमकाया अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम रोड नहीं निकलने देंगे। इस जमीन से रोड एक साईड से निकाला जाए । कि क्या ऐसा संविधान में नहीं लिखा है कि जोर जबरदस्ती हमारे साथ की जाए । आप 200 मीटर लेंगे हमारी जमीन तो पूरी तरह से खराब कर देंगे आप यह नोट कर लें और इसके लिए उचित उपाय कर लें</p>	<p><u>श्री परियोजना निदेशक, श्री कौल जी—</u> इसको फिर स्टडी करेंगे कि वहां क्या सम्भव है ।</p>
10.	<p><u>श्री सत्य देव प्रधान, ग्राम पंचायत जडोल, तह0 सुन्दरनगर , जिला मण्डी</u> — माननीय ए0 डी0 एम0 साहिब ये जो राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग प्राधिकारी वाले है, यहां जडोल से लेकर पुंग तक बस रही आवादी को आवादी नहीं मानते है, यह जो 8.5 किलोमीटर रोड यहां से बन रहा है इस पर बिल्कुल विचार विमर्श नहीं हुआ । आज यहां बात हो रही है पर्यावरण के उपर । पर्यावरण की जरूरत किसको है जब इंसान ही उजड़ जाएगा तो इन्सान ही नहीं रहेगा तो पर्यावरण से हमारा क्या लेना देना, रोड किसके लिए बनाये जाए इंसान के लिए, जिसमें बीमार आदमी आराम से ले जा सके । अब आदमी ही बीमार करने के लिए रोड बनाया</p>	

2/2/1

जाए तब उसे कोई फायदा नहीं है । आदरणीय कौल जी ने उदाहरण दिया कि इसके बनने से स्वारघाट में जाम से निजात मिलेगी , दिल्ली चण्डीगढ जाने के लिए आसानी होगी । लेकिन मेरा जो एरिया ग्राम पचायत जडोल से शुरू होता है वहां बहुत से मेरे भाई ऐसे है जो रोजगार के लिए यहां आए हैं । भाई रामलाल ने ठीक ही कहा जब खेत में हल चलाया जाएगा तो मिट्टी तो खुदेगी ही । मेरा सुझाव है कि एक साइड से रोड बनाया जाए, या खड्ड के किनारे से रोड बनाया जाए । कोई ज्यादा क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ेगी सारी सरकारी भूमि है । अगर ऐसे ही रोड बनेंगे अगर लोगों को उजाड़ना ही है तो अलग बात है । आप देखिए जडोल से लेकर सुन्दरनगर तक अच्छे अच्छे होटल है जिनकी दो दो लाख रूपये सेल है । तो इन होटल वालों ने क्या करना है और वह होटल वाले कहां जाएंगे । बाहर से यहां लोग कमाने के लिए आए हुए है । जब तक रोड क्लियर नहीं होगा राज्य सरकार या केन्द्रिय सरकार हम सब यही चाहते हैं कि जो दुर्घटनाएं होंगी उसका पूरा खर्च कम्पनी वहन करें । रही पानी की बात वह हो जायेगा। हमारे यहां बी0 एस0 एल0 प्रोजैक्ट बना, पहले हमारे पानी के स्रोत खराब हुए वहां सिंचाई होती थी उसका पैसा आज चाहे केन्द्रिय सरकार ले, चाहे कम्पनीयां ले रही है लेकिन जिसका घराट बन्द हो गया उसको क्या मिला। उसका असली फायदा अभी कोल डैम प्रोजैक्ट 900 मेघावाट का बन रहा है । जिनको 50-50 लाख मिला है वह खत्म कर चुके हैं । उनके लिए बना दी विस्थापन पुर्नवास कालोनी कागूं में परन्तु उस कालोनी में कोई नहीं रह रहा है । बल्कि लोग उस जमीन पर खेतीवाडी कर रहे हैं क्योंकि वह जमीन रहने के लायक है ही नहीं । मेरा मतलब है कि जडोल से लेकर पुंग तक रोड के लिए एक साईड का ही इस्तेमाल किया जाए ताकि यहां के होटल व्यवसायी

10/10

बर्बाद न हो । हांलाकि नौलखा से लेकर ढढौर तक
होटल नहीं हैं फिर भी ये लोग भयभीत हैं । यहां पर
होटल लोगों ने किराए पर लिए हुए हैं । रोड तीन
साल में बन जाएगा परन्तु उस व्यक्ति को क्या लाभ
मिलेगा । क्या आप क्षतिपुर्ति देंगे होटल वाले को, या
नहीं देंगे । सबको पता है कि पैसा कभी भी टिकता
नहीं है । हवा, पानी और पैसा ज्यादा देर नहीं टिकता
है । इसमें क्या प्रदुषण, क्या पर्यावरण, किसान आज भी
आर्थिक तंगी में है । हिमाचल में इस समय आज
लगभग 75 लाख आवादी है उसमें से 5 परसैण्ट लोग
शहरों में रहते हैं और 95 परसैण्ट लोग गांव में ही
रहते हैं । तो कौल जी जो 95 परसैण्ट लोग गांव में
रहते हैं । उन लोगों को इस चीज से कोई लेना देना
नहीं है ऐसे विकास से कोई लेना देना नहीं है । उन्हें
तो सिर्फ अपने जमीन और मकान के बारे में चिन्ता
रहती है । मेरा निवेदन है कि जडोल से लेकर पुंग तक
जो 8.5 कि० मी० का रोड है इस रोड के बारे किसी से
कोई बात नहीं की गई । ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा
यह बड़े दुःख की बात है । दूसरी बात जो पर्यावरण की
बात है मेरे ख्याल में पानी के स्रोत जो खराब होंगे
उनको एक बार तो आप ठीक कर देंगे, उसकी क्षतिपुर्ति
भी मिल जाएगी परन्तु बाद में कोई उसकी सुध नहीं
लेगा जडोल में पानी के अच्छे-अच्छे स्रोत हैं जिनको
पूरी तरह से हाइवे वालों को सुरक्षित रखना पडेगा ।
जैसा चौमुखा में एक पानी का स्रोत है उसमें बिजली
बनती थी, और जो जडोल का पानी था उसको तो
जॉचने के लिए जर्मनी की टीम आई थी हमारे नगर
अध्यक्ष यहां बैठे है । आज यहां पानी की सिंचाई के लिए
कोई व्यवस्था नहीं है, पानी के लोगों को बिल आ रहे हैं
हमारे को हमारे ही पानी के बिल आ रहे है । दूसरी
बात जडोल बस्ती से एक रोड सलवाणा को जाता है
वहां के लिए क्या आप बर्षालय भी बनाएंगे । जहां जंहा

	<p>पानी के स्रोत मिलेंगे उनको भी बचाने का क्या आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा । जब अचानक रोड से गाडी गिरेगी तो आसपास के घरों को हमेशा खतरा बना रहेगा । पांच साल के बाद मकान डैमेज होता है उसकी क्षतिपूर्ति कौन देगा । दूसरी बात आई है कि कीमत क्या मिलेगी । आदरणीय जिला दण्डाधिकारी साहब ने जो कीमत फीक्स किया हुआ है, वही मिलेगा । जब कीमत का काम शुरू हुआ जो बंजर भूमि 8 और 10 लाख प्रति विस्वा कीमत पर बिक रही है जो हमारे मकान यहां बने है उसकी भी कीमत उसी के बराबर दी जाए । बुक वैल्यू एकदम बढ़ जाती है तो उसे यही कीमत मिलेगा या हि0 प्र0 लो0 नि0 वि0 की बुक वैल्यू के हिसाब से मिलेगा । पहले जो नल 4 सौ रूपये का बाजार में मिलता था आज वह बाजार में एक हजार रूपये का मिल रहा है तो 6 सौ रूपया तो जेब से चला गया । मैंने पढा था की कोर्ट की डारैक्सन है की 4 टाईम पेमेंट मिलेगी। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि कीमत लोगों के हितों को प्राथमिकता देते हुए बनाए जाएं यही मेरा निवेदन है । लोगों को प्राथमिकता देते हुए ही रोड बनाया जायें उन्हें पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं। और उनका रोजगार का साधन बना रहें।</p>	
<p>11.</p>	<p><u>श्री हेम राज पूर्व प्रधान , गांव डगराउ , जिला मण्डी -</u> सर, वर्ष 1977 में सुन्दरनगर नहर से पानी छोड़ा गया था । हमने यह नहीं सोचा कि आने वाले समय की समस्या होगी । वहां पर जो पैदल भी चलता है उसे आज काफी दिक्कतों का सामना करना पडता है । पहले किसी के पास ट्रैक्टर नहीं होते थे अब तो लोगों के पास ट्रैक्टर भी है इसलिए वे ट्रैक्टर के माध्यम से खेती करना चाहते हैं । और हमारा जो किसान था आज उस समय में जो नहर के उपर फुटब्रिज बनाए गए हैं वह वर्तमान के हिसाब से लोगों के लिए असुविधा</p>	

	<p>का कारण बने हुए है । जहां तक कन्ट्रोल रूम की बात है जो पैदल भी चले होते हैं सुन्दरनगर में खरीदने के लिए, जब वे घर वापिस आते हैं तो उनके पास सामर्थ्य नहीं रहती हैं उनको कन्ट्रोरूम की तरफ से घुमकर जाना पडता है तो उन्हे काफी परेशानी होती थी । जैसे हमारे छोटे किसान है जिनकी जमीन का एक टुकडा रोड से दुसरी तरफ है तो एक टुकडा रोड से इस पार है तो उसके कुछ प्रावधान होना चाहिए। ये सिंचाई भी इस नहर के कारण छिन गई है । उन्हें अपने खेतों तक जाने के लिए जगह-जगह से रास्तों का प्रावधान होना चाहिए और जहां जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, जैसे कनैड स्कूल, धनोटू बाजार इत्यादि में सब-वे का प्रावधान होना चाहिए । जब ऐसा होगा तो वहां किसानो को और व्यापारी वर्ग को सुविधा मिलेगी । आजकल कुछ ही दिन बाद गंदम की कटाई शुरु हो जाएगी इसके लिए मैं चाहूंगा उसके लिए अपने खेतों में आने जाने के लिए इस रोड के बनने पर सब-वे का होना बहुत ही लाजमी होगा ताकि ऐसी गलती न हो।</p>	
<p>12.</p>	<p>श्री पी०एल० रावत, गांव भुवाणा- एक साल पहले फोरलेन के बारे में बात चली थी और कहा गया था कि थोडे ही समय बाद इस पर काम शुरु होने वाला है । जहां पर भी बैठे वहां पर सबके घरों/ दुकानों में फोर लेन के बारे में ही चर्चा हो रही है। मान्यवर पुगरु में जो हमारी जमीन है मैंने पिछले साल ही वही पर मकान बनाया था जो पुंजी विदेश मे जाकर कमाई थी वह सारी की सारी वही घर बनाने में लगा दी। यहां पर आये हुए एक महीना हो गया किसी ने कहा था कि 14 तारिख को मिंटिंग है तो किसी ने कहा कि परसों है। सो महोदय जी जो इंजिनियरिंग कॉलेज पुगरु में बना है इसके नीचे जो करव है मैं भी पेसे से इंजिनियरिंग हूँ। थोडी सी नॉलेज है साईड से बना दो। क्योंकि इसमें तो</p>	<p>परियोजना निदेशक श्री कौल जी- आप यहां हमारे पटवारी से मिल लीजिए शायद वह आपकी समस्या का हल करने में सक्षम हो ।</p>

	<p>120-30 कि० मी० की रफ्तार से गाडी चलेगी । जो फोर लेन बनना चाहिए लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया कि फोर लेन आ रहा है और उसके कारण मैंने अपना कन्सट्रक्शन वर्क (construction) भी रोक दिया है कि फोर लेन आ रही है। इसलिए जो पुगरु में सड़क बन रही है उसका कार्य हम रोक देंगे इसके लिए कृपया हमें बताएं कि इस समय हम क्या करें । हमें सारा प्लान प्रोजेक्टर के द्वारा समझाया जायें।</p>	
13.	<p>श्रीमती रमा देवी, प्रधान ग्राम कनैड, जिला मण्डी:- मैं अपनी समस्या आपके सामने रख रही हूँ बाई पास जो है सुकेती खड्ड से बनना चाहिए। वहां पर जनसंख्या के लिए भी जगह है और वहां पर सरकारी जमीन भी ज्यादा है। हमारे यहां जो भी नौलखा से लेकर डडौर तक जितने भी गांव पडते हैं उन सबको बचाया जाए । वहां से फोरलेन नहीं होनी चाहिए । हमारे जो कनैड के और भौर के लोग हैं उनकी भी यही प्रार्थना है कि सुकेती खड्ड से होकर फोरलेन बनें । वहां से लोगों को बिजनैस मिल जाएगा और हमारी ग्राम पंचायत कनैड और भौर से भी बना रहेगा । जब फोरलेन बनेगी तो जो भी धार्मिक स्थल हैं वह कहां स्थापित होंगे । धार्मिक स्थल तोड़ेंगे तो कहां स्थापित करेंगे । आपसे मेरी प्रार्थना है कि सुकेती खड्ड से होकर बाई पास लें । ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिल सकें। क्या आप वहां से लेकर जाएंगे या नहीं इस बात का जबाब दें ।</p>	<p>परियोजना निदेशक श्री कौल जी- इस बात पर हम विचार करेंगे । यह दिख रहा है, इस पर मैं विचार जरूर करूंगा । बाकी जो आपका सवाल है धार्मिक स्थलों का इनको सुरक्षित करने की पूरी कोशिश करेंगे । आप लोगों की मदद से ही हम बदलेंगे, क्या करना है उसमें आपकी ही मदद चाहिए। और जल स्रोतों को पूरी तरह बचाया जायेगा। इसका रिपोर्ट में पुरा प्रावधान है।</p>
14.	<p>श्रीमती नमिता शर्मा , प्रधान ग्राम पंचायत बरोटी डैहर , जिला मण्डी:- सर, हमारे पूरे भन्तरेड गांव से जो फोरलेन आ रहा है की भूमि कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है । इस जमीन पर फोरलेन आने की वजह से सभी की खेतीवाडी खत्म हो जाएगी । जो कृषि का काम धन्धा है, वह तो पूरी तरह ही खत्म हो जायेगा।</p>	<p>परियोजना निदेशक श्री कौल जी- जहां तक आपने कृषि योग्य भूमि की बात कही हम कोई पूरी की पूरी भूमि आपकी एक्वायर नहीं कर रहे हैं । हम 45 मीटर लेंगे । रहा सवाल वहां के होटल, ढाबे खोलने का तो जिस सड़क</p>

	<p>क्षतिपूर्ति तो आप देंगे। लेकिन जिनकी कुछ लोगों की जो छोटी गाड़ियां हैं क्या आप उनको रोजगार देगी। जो फोर लेन बनेगा वह हमारी जमीन से काफी उपर आ जायेगा। उसपर आप कुछ ढावा व दुकान बनाकर क्या आप देंगे। और हमारे ज्यादातर लोग नेचुरल रिसोर्सीज पर ही निर्भर है कृपया उन्हें बचाकर रखीयें। जहां से फोरलेन का सर्वे हुआ है वहां से इस बी० एड० कॉलेज को 10 फुट साइड को छोड़कर फोरलेन को उसके साइड से बनाया जाए नहीं तो वहां पर बी० एड० के लिए समस्या पैदा होगी। और जो विद्यार्थी हैं अगर उन्हें भी अगर आर पार जाना है 4-5 कि० मी० ज्यादा चलना पड़ेगा। इसमें कुछ न कुछ प्रावधान किया जायें।</p>	<p>पर गाडी 180-190 की तेज रफ्तार से चलेगी। वहां होटल और डारों का ज्यादा औचित्य नहीं रह जाता है। हां, 20-25 किलामीटर के बाद सड़क के किनारों में यह प्रावधान रखा गया है। जैसे कि हमारे एक भाई साहिव ने बताया कि 90-100 किलामीटर की स्पीड से जब गाडी आएगी दुर्घटनाएं होने के आसार रहेगें। बाकी जहां तक रोजगार देने का सवाल है हमारी कम्पनी यहां 20-25 साल रहेगी। यहां जो भी सिकल (Skill) ऐविलेवल (Available) है, उन्हें उसी के अनुसार रोजगार दिया जा सकता। बाकी ढाबे वगैरह हर जगह नहीं खोल पाएंगें।</p>
<p>15</p>	<p>श्री एन० एस० चौधरी, गांव डढौर, जिला मण्डी – सर, यहां कहा गया है कि बाई पास सुकेती खड्ड से लिया जाए हम इससे प्रभावित करते हैं। जो डढौर में स्थापित सड़क है उससे ज्यादा उंच्चाई नहीं जानी चाहिए। क्योंकि 1960 में भी वहां अत्यधिक फलड़ आया था तो उससे वहां के पर्यावरण में फर्क पडा था और उसमें भी बहुत कैजुअज्टी पाई गई थी। और इसकी उंच्चाई न बढ़ाई जायें। और आपने अगर यहां पर फलाई ओवर न बनाया तो नेरचौक को बचाने की बजह से आप इस सबको खत्म की देंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसे गौर किया जाए।</p>	
<p>16</p>	<p>श्री जितेन्द्र वर्मा, एन० जी० ओ० लीडर, गांव नौलखा जिला मण्डी – बहुत सारी बातें लोगो ने टच कर लिया है लेकिन पर्यावरण के उपर किसी ने कुछ नहीं कहा जो मिट्टी इस रोड से निकलेगी उस मिट्टी को ट्रको</p>	<p>परियोजना निदेशक श्री कौल जी- मिट्टी के लिए हमारी डी० पी० आर० में प्रावधान है। उसको विल्कुल इम्प्लीमेंट किया जायेगा। अगर कमेटी</p>

	<p>द्वारा उठाया जायेगा और मिट्टी 100-200 मी० के दायरे में सडक के चारों तरफ गिरेगी। जिसमें कि लोग अपने कपडे सुखने नही डाल सकते, लोगों को सांस लेने में समस्या होगी। इसलिए वहां पर कम्पनी और प्रोजैक्ट के लोगों को वहां पर उपस्थित रहना चाहिए। दूसरे यह कि जब कम्पनी आती है तो कमेटी फोरम की जाती है। यदि कम्पनी अपने मनमाने तरीके से कार्य करने लगती है तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी एक सशक्त कमेटी फोरम हुई हो जिसमें प्रशासन के लोग भी हो। और अन्य भी ऐसी कमेटी का गठन सबसे पहले किया जाए।</p>	<p>बन जायेगी तो मैं स्वागत करता हूँ। जिसकी जो भी समस्या होगी वह, वहां पर रिपोर्ट करें। क्योंकि यह प्रोजैक्ट तभी सफल होगा जब हम दोनों मिलकर चलेंगे। कमेटी का फार्म होना सही है तभी यह प्रोजैक्ट सफल होगा अदरवाईज बिल्कुल नहीं।</p>
<p>17</p>	<p>श्री प्रेम ठाकुर, एडवोकेट, सुन्दरनगर कोर्ट- मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं वर्मा जी की बात पर दो प्वाइंट और जोडना चाहूंगा। जो पानी की समस्या है वी० एस० एल० प्रोजैक्ट ने हमारा 30-35 प्रतिशत पानी हमसे छिन लिया गया है मैंने सुना है कि सुन्दरनगर के लिए दो हाइवे टनल भी है हाई प्रोफाइल टनल है लेकिन मुझे पता नही है कि प्रोपोजल में क्या है। लेकिन टनल की बजह से पानी की समस्या गंभीर होने जा रही है। क्योंकि जिस क्षेत्र में यह टनल बनेगी उस क्षेत्र में पानी की भारी समस्या हैं। जडोल में पानी है उस पानी को बचाने के लिए पहले से ही उसका अलटरनेट लोगों को बता दिया जाये जब एन० एच० बनेगा उसमें बहुत ज्यादा मजदूर आयेगे, हैवी मशीनरी कई तरह की और दूसरी चीजें यहां कार्य करने के लिए आयेंगी। जिससे पर्यावरण पूरी तरह खराब हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए यहां पर तेजी से कार्य किया जाये। और लोगों में जागरुकता पैदा कि जाये। जो आपका ट्रैक होगा उसको घोषित किया जाये ताकि लोगों में भ्रान्ति न रहे। जैसे इन्जीनियर साहिव ने अपने मकान का काम रोक दिया हैं मैं चाहता हूँ कि जो कार्यकारिणी अधिकारी है वह इसमें काम करें। जैसे</p>	<p>परियोजना निदेशक श्री कौल जी- मजदूरों के लिए अलग से एक आशियाना बनाएंगे और 20-25 साल तक उनकी मशीनरी तथा मजदूर को जगह जगह पर बसाएंगे ताकि लोगों को प्रदूषण से बचाया जा सके। यह प्रोजैक्ट जल्दी से जल्दी तैयार हो क्योंकि यह बी० ओ० टी० वेसड प्रोजैक्ट है इनका 3 साल का प्रोजैक्ट है और इन्हें यहां पर 25 साल और रहना हैं। अगर यह 3-5 साल लगाते है तो इनका का कन्सेशन पीरियड (concession period) कम हो जायेगा। उससे आप निश्चिन्त रहिए अगर लेट करेगे तो उनका ही नुकसान होगा। ऐसी कोई बात नहीं हैं। यह सब सम्भव है।</p>


	<p>मैडम को लग रहा है कि पूरा का पूरा गांव उजड़ जायेगा। ऐसी बात नहीं है इसके लिए आपको सही कदम उठाने होंगे।</p>	
18	<p>श्री काका राम, गांव भौर, जिला मण्डी – सर, फोरलेन बनने से लोगों को कोई नुकसान नहीं होगी फोरलेन बनना चाहिए बहुत ज्यादा सुविधाएं होगी। बीमार आदमी को बड़े अस्पतालों में ले जाने के लिए तुरन्त सुविधा रहेगी। मेरा निवेदन है खासकर कासिंग ठीक तरह से रखे जाए। जैसे स्कूल है जिन लोगों की जमीनें दूसरी तरफ सड़क से होगी उनको कासिंग के लिए खास ध्यान रखा जाए और इसका नक्शा तैयार किया जाए बाद में इसका कोई आपत्ति नहीं है।</p>	
19.	<p>श्री राजेन्द्र झावे चौमुखा, जिला मण्डी— सर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि हमारे पास पहले कम्पनी के लोग आए और हमारी समस्या सुने। जो फोरलेन का सर्वे हुआ उसमें हमारी भी जमीन आती है परन्तु जमाबन्दी की नकल हमारे नाम नहीं हैं। इसके लिए क्या करें। दूसरा मेरा प्रश्न है हमारे बुजुर्गों के नामों में जमाबन्दी में बहुत गड़बड़ है। मेरी माता और मेरे भाई का नाम वैसे कुछ और है और जमाबन्दी में कुछ और है। तो इसके बारे में परिवर्तन के लिए बहुत लम्बी प्रक्रिया है। पहले अखबार में नाम देना पड़ेगा और भी इसमें लम्बी और खर्चीली प्रक्रिया है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि जब क्षतिपूर्ति मिलेगा तब उनको उनके गलत नाम से सम्बन्धित राहत देने के लिए आवश्यक पग उठाएं ताकि क्षतिपूर्ति मिलने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। तीसरे आने वाले समय में हमें जो भी क्षतिपूर्ति हमें कुछ भी मिलेगा उसके बाद भी हमें एक लम्बी लड़ाई सरकार से और कम्पनी से लड़नी पड़ेगी इसलिए एक युनियन हम सबको बनानी ही पड़ेगी।</p>	<p>परियोजना निदेशक श्री कौल जी— इसमें सेक्सन 3 (A) के तहत अधिसूचना होगी कौन कौन से खसरा नम्बर आ रहे हैं, यह पता लैड एक्युजिसन के ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं कि कहां कितनी भूमि इनवोल्व हो रही है। नाम बदलने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए आपको जिला प्रशासन की ही मदद लेनी पड़ेगी। जहां नाम बदलने की बात है उसमें हमारा प्रोजैक्ट कुछ भी मदद नहीं कर सकता। तीसरी आप की बात युनियन की है तो यह आपका निजी मामला है।</p>
20	<p>श्री मुनी लाल, ग्राम पंचायत भंगरोट्ट – मैं दो-चार</p>	<p>परियोजना निदेशक श्री कौल जी—</p>

	<p>बातें करना चाहता हूँ मेरा यह प्रश्न है कि ढढौर से लेकर नागचला तक की भूमि बहुत उपजाऊ है । उसके बारे में बहुत ध्यान रखना पडेगा ताकि वह भूमि वर्वाद न हो । फोरलेन बननी चाहिए इसका हम समर्थन करते हैं लेकिन उसमें इस तरह की जो हमारी उपजाऊ भूमि है उस भूमि का किसानों को अच्छी कीमत मिलनी चाहिए । दूसरी बात यह है कि भविष्य में भी हमने उस जमीन के लिए ट्रैक्टर उतारना हो तो उसमें प्रावधान रखा जाए । जैसे मेरे खेत है एक या दो बिस्वा के अगर वह रोड पर चले जाते है और उसमें कुछ जमीन बच जाती है तो ऐसा न हो कि जो बची हुई भुमि दूसरे किनारे पर एक विस्वा या दो विस्वा है उसको भी आप लें लें। फोर लेन के नजदीक जितने भी लोग रहते है उन्हे रोजगार उपलब्ध करबाया जायें। उसमें ऐसा नही की बाहर के मजदूरो को यहां लाया जायें और यहां के मजदुरों को कोई न पुछे। बहुत से गरीब आदमी है उन्हे रोजगार मिलना चाहिए।</p>	<p>यह जो हमारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग है के लिए अधिनियम 1956 बना हुआ है उसके अनुसार जितना ज्यादा लाभ होगा हम प्रभावितों को दे सकते हैं वह हम पूरे का पूरा देंगे । रोजगार के सवाल पर भी मैं आपको बता चुका हूँ जितना भी होगा इसके लिए हमारे पास यहां स्कील (Skill) एवीलेवल (Available) होगा उनके अनुसार उनको रोजगार दिया जाएगा । जहां तक रोड की उंच्चाई के बारे में सवाल है वह हम उच्च मार्ग के डीजाईन को देखकर ही कुछ बता सकते हैं ।</p>
21	<p><u>श्री विष्णु लाल वर्मा, ग्राम पंचायत जडोल-</u> मैं यह कहना चाह रहा था कि जब सर्वे हुआ था तो फोरलेन का लगभग एक साल पहले जडोल से पुंग तक तो उसमें हमारी सडक आ रही थी । बाद में यह सर्वे वहां से नहीं हुआ, उसे बदला गया इसका क्या कारण है।</p>	<p><u>परियोजना निदेशक श्री कौल जी-</u> वह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बहुत से गांव उजड़ रहे थे । पूरे का पूरा एरिया बाहर का आ रहा था और उपर से बिजली की एच0 टी0 लाईन गुजर रही थी जिसको बदलना आसान नही था । इसलिए हमने यह सर्वे बदला । नही तो पूरे के पूरे पहाड़ उपर से आ जानें थे। पूरा का पूरा गाँव उजड़ रहा था। एच0 टी0 लाईन उपर से जा रही थी इसे बदलना मुश्किल था। इसलिए हमने यहां से इसको बदला।</p>

श्री

श्री डी० के० रतन, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, मण्डी- आप सबने अपने-अपने विचार रखे उन बहुमूल्य विचारों के लिए मैं आपका तहे-दिल से स्वागत करता हूँ और एक बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ कि हमें यह सड़क चाहिए और हम इसका स्वागत करते हैं, यह आप सब लोगों ने अपने विचारों में व्यक्त किया । आपके सुझाव बहुत अच्छे थे, आप चाहते हैं कि सड़क बननी चाहिए, यह विकास के लिए एक सराहनीय कदम है । जिस तरीके से आपने अपने विचार रखे मैं उससे बहुत खुश हूँ। आपके सुझाव बड़े अच्छे थे कि सड़क बननी चाहिए। मैं आप सबकी ओर से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा की अगर आपको लगता है कि जो लोगो ने अपने सुझाव तथा आपतियां दर्ज करवा रखी है उन पर ये अपनी डीसक्रियेशन्स लगा सकते हैं तो उस पर जरूर लगायें तथा हमारे प्रभावित लोगो को जितना फायदा पहुचा सकते हैं, उतना पहुँचाएं। सबने कहा की रोड का कार्य जल्द हो जाना चाहिए। लोगो को क्षतिपूर्ति (compensation) जरूर मिलनी चाहिए, तथा सबको पूरी-पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उनका कितना क्षेत्र जा रहा है, कितने घर जाएंगे, इसमें लोग पादर्शिता चाहते है। फोरलेन के निर्माण कार्य में मुख्य रूप से ध्यान रखा जाए ताकि लोगो की सेहत के साथ कोई खिलवाड न हो । मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रशासन की तरफ से आपको पूरा सहयोग देंगे और जो लोगो की आपतियां हैं उनको सुलझाने में भी सहयोग करेंगे ।

अंत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क परियोजना निर्देशक ने उपस्थित जनता से परियोजना को क्रियान्वित करने में सहयोग मांगा तथा क्षेत्र के विकास में यथासंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया तथा जनता का आभार व्यक्त किया । जन-सुनवाई के समापन से पूर्व कार्यवाही के सार को अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला मण्डी (हि.प्र.) द्वारा उपस्थित लोगो के समक्ष बताया गया। तत्पश्चात इसका विवरण रिकार्ड किया गया । अन्त में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी मण्डी व सहायक अभियन्ता पर्यावरण बोर्ड बिलासपुर द्वारा लोगो का आभार व्यक्त किया गया।


अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला मण्डी (हि.प्र.)